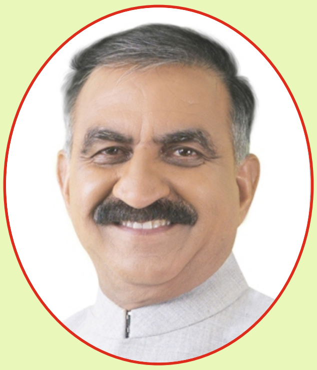

एचपीशिवा

हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य वर्धन परियोजना

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित

परियोजना विवरण

Project Details

ADB
ASIAN DEVELOPMENT BANK

परियोजना प्रबन्धन इकाई

एचपीशिवा परियोजना, उद्यान विभाग,

नवबहार, शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश

फोन-0177-2841120 ईमेल-pmuhpshiva@gmail.com वेबसाईट- https://hpshiva.hp.gov.in

DEPARTMENT OF HORTICULTURE HIMACHAL PRADESH

एचपीशिवा

हिमाचल प्रदेश बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य वर्धन परियोजना

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित

संकलन – ए.एफ.सी. इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रकाशक – परियोजना प्रबन्धन इकाई, हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई तथा मूल्य वर्धन परियोजना, उद्यान विभाग, द्वारा प्रकाशित।

दिसम्बर 2022

अस्वीकरण– *प्रस्तुत मार्गदर्शिका में उपलब्ध जानकारियों/सूचनाओं को विभिन्न उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परियोजना के तहत कार्यरत अधिकारियों, कार्मिकों तथा परियोजना लाभार्थियों की सुगमता हेतु एचपीशिवा के संदर्भ में संकलित किया गया है तथा जिनमें परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जाना संभव है।*

एचपीशिवा परियोजना
- एक नजर में -

परियोजना लक्षित कार्यक्षेत्र	
जिले	07
विकासखण्ड	28
सिंचाई योजनाएं	162
क्लस्टर	400
सीएचपीएमए सहकारी समितियां	60
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	6000
परियोजना लाभार्थी परिवार	15000
परियोजना अवधि	5 वर्ष (2023–2028)
परियोजना लागत (करोड रू0)	
कुल परियोजना लागत (करोड रू0)	1292
एशियन विकास बैंक (एडीबी) (करोड रू0)	1030
राज्य सरकार (करोड रू0)	262

- **बीज से बाजार तक** की अवधारणा पर आधारित यह परियोजना मूल्य श्रृंखला विकास के तहत फसल पूर्व–उत्पादन से फसलोपरांत प्रबंधन सहित किसानों की बाजार तक पहुंच स्थापित करेगी।
- **HPSHIVA PRF** में चार फलों (संतरा, अमरूद, अनार और लीची) की 14 विभिन्न किस्मों का लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च घनत्व पौधरोपण का सफल प्रयोग।
- परियोजना में लगभग साठ लाख फल पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- जंगली जानवरों के आतंक से बचाव के लिए एनिमल प्रूफ कम्पोजिट सोलर फेंसिंग।
- जल के कुशल वितरण के लिए हाईटेक ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग।
- सिंचाई सुविधाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) का गठन।
- किसानों को संगठित करते हुए किसान उत्पादक संगठन (FPO) के रूप में 60 सामुदायिक बागवानी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों (CHPMAs) के गठन का लक्ष्य।
- सीएचपीएमए मैनुअल के अनुसार सीएचपीएमए सहकारी समितियों का प्रबंधन एवं संचालन।
- राज्य में बागवानी के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति तथा रणनीतिक निवेश योजना 2023–32।
- नर्सरी विकास योजना तथा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज (PoP) के अनुसार बागवानी कार्य।
- एमआईएस (MIS) और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा फील्ड कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- परियोजना के अन्तर्गत टोपोग्राफी सर्वेक्षण हेतु ड्रोन प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद ट्रेसेबिलिटी हेतु प्लांट टैगिंग तकनीक का उपयोग।
- परियोजना हिमाचल प्रदेश को **"भारत का फल"** राज्य बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

<table>
<tr><th>आउटपुट</th><th>प्रस्तावित गतिविधियां</th></tr>
<tr><td>आउटपुट 1

सिंचित क्षेत्र का विस्तार और सतत् संचालन</td><td>

6,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 162 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार और निर्माण।
सिंचाई योजना के प्रबंधन हेतु जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) का गठन और उनका क्षमता निर्माण।
जल शक्ति विभाग (JSV) का क्षमता निर्माण।
उपोष्णकटिबंधीय फसलों का बागवानी उत्पादन।
</td></tr>
<tr><td><u>आउटपुट 2</u>

जलवायु अनुकूल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी उत्पादन प्रणाली विकसित</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>फसल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>संतरा</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अमरूद</td></tr>
<tr><td>3</td><td>लीची</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अनार</td></tr>
<tr><td>5</td><td>परसिमोन</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्लम</td></tr>
<tr><td>7</td><td>आम</td></tr>
<tr><td>8</td><td>पेकान नट</td></tr>
</table>

बाग स्थापना (भूमि तैयार करना, रोपण सामग्री, पौध आगत (Input) और उपकरण)
एनिमल प्रूफ कम्पोजिट सोलर फेंसिंग।
डिजिटल कृषि–तकनीक सेवा और जीआईएस भूमि संसाधन मानचित्रण।
फल पौधशालाओं का विकास।
परियोजना क्लस्टर में किसानों का सामुदायिक बागवानी उत्पादन और विपणन (CHPMA) सहकारी समिति के रूप में संगठन। सीएचपीएमए सदस्यों का क्षमता निर्माण (पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, इन्टरक्रॉपिंग, मधुमक्खी पालन और जैविक उर्वरकों के प्रयोग, आदि पर प्रशिक्षण)।
बागवानी विभाग का क्षमता निर्माण।
</td></tr>
<tr><td><u>आउटपुट 3</u>

उपोष्णकटिबंधीय बागवानी किसानों के लिए बाजार पहुंच का निर्माण</td><td>

बुनियादी प्रसंस्करण ढांचे की स्थापना (संग्रहण केंद्र और एकीकृत सुविधा केंद्र – छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग)।
मौजूदा राज्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन।
सीएचपीएमए द्वारा प्रवर्तित एपेक्स संस्था एफपीसी का गठन और व्यवसाय संचालन के लिए एपेक्स और सीएचपीएमए का क्षमता निर्माण।
फल व फल उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार।
बागवानों का सीएचपीएमए तथा एपेक्स संस्था एफपीसी के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव।
उत्कृष्टता केंद्र (सेन्टर फॉर एक्सीलेंस) की स्थापना।
</td></tr>
</table>

एचपीशिवा परियोजना

पृष्ठभूमि

राज्य के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु युक्त निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाओं का दोहन करने हेतु हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई तथा मूल्य वर्धन (एचपीशिवा) परियोजना का एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वयन किया जाएगा। **''बीज से बाजार''** तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को क्लस्टर एप्रोच में वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कृषि के साथ–साथ फसलोपरांत मूल्य वर्धन करते हुए बाजार से जोडा जाएगा। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को **''फल राज्य''** बनाने के स्वपन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग (पी0आर0एफ0) के तहत 4 जिलों में कुल 17 क्लस्टरों का विकास कर 4 फल फसलों के की 14 विभिन्न किस्मों का लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च घनत्व पौधरोपण किया गया। परियोजना के तहत क्लस्टरों के चयन हेतु विभिन्न मानदण्ड विकसित करते हुए सहभागी विधि से मुख्य परियोजना क्लस्टरों का चिन्हीकरण किया गया। चिन्हित किये गये क्लस्टरों की फसल उपयुक्तता हेतु मृदा परीक्षण किया गया तथा सुनिश्चित सिंचाई हेतु बहुवार्षिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण एंव स्थलीय व्यवहार्यता हेतु भू–स्थानिक सर्वेक्षण करते हुए क्लस्टरों का अंतिम चयन किया गया। विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित की गयी 14 फल फसलों की बाजार मांग के साथ ही इनकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का भी अध्ययन किया गया एवं अधिक मांग वाली उपयुक्त फसलों को परियोजना में उपयुक्तता के आधार पर चयनित किया गया। यह परियोजना के तहत नर्सरी विकास योजना, रणनीतिक निवेश योजना, मूल्य श्रृंखला विकास योजना तथा राज्य बागवानी नीति तैयार करने का आधारबिन्दु बना। चयनित क्लस्टर के सभी बागवानों को CHPMA तथा IWUA के रूप में संगठित कर इनके संचालन के लिए मैनुअल तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही साथ उपोष्णकटिबंधीय फल फसलों के प्रबन्धन के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज तैयार किये गये हैं।

परियोजना के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग (पी0आर0एफ0) में क्लस्टर विकास करते हुए विभिन्न बागवानी गतिविधियां क्रियान्वित की गयी। इसके अन्तर्गत दो वर्षों में किये गये कार्यों के परिणामों ने क्लस्टर एप्रोच में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी को बडे स्तर पर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो मुख्य परियोजना में अनेकों अन्य किसान परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक होगा।

एचपीशिवा परियोजना के तहत उद्यान विभाग को अधिशासी संस्था (Executing Agency) तथा उद्यान विभाग एवं जल शक्ति विभाग, दोनों को क्रमशः उद्यान तथा सिंचाई घटकों हेतु कार्यान्वयन संस्था (Implementing Agency) नियुक्त किया गया है। इसके तहत उद्यान विभाग नोडल संस्था (Nodal Agency) के रूप में कार्य कर रहा है। उद्यान विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन हेतु एक परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0) की स्थापना की गयी है। संबधित परियोजना घटकों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से दो पृथक परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां (पी0आई0यू0) उद्यान विभाग तथा जल शक्ति विभाग में स्थापित की गयी हैं।

एचपीशिवा की मुख्य परियोजना (2023 से 2028) में राज्य के 7 जिलों (बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना) के 28 विकासखण्डों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 6000 हेक्टेअर क्षेत्रफल को 400 बागवानी क्लस्टरों में विकसित किया जाएगा जिससे कि 15000 किसान–बागवान परिवारों को परोक्ष रूप से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमान्त किसान होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर **''एक फसल–एक क्लस्टर''** एप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकननट, जापानी फल, आदि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य ही नहीं बल्कि देश के पर्यावरण संतुलन में सहायक होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करेगा।

इस परियोजना के तीन मुख्य प्रतिफल (Output) होंगे –

आउटपुट	विवरण
आउटपुट 1	सिंचाई क्षेत्र में विस्तार और सतत् संचालन।
आउटपुट 2	जलवायु अनुकूल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी उत्पादन प्रणाली विकसित करना।
आउटपुट 3	उपोष्णकटिबंधीय बागवानी किसानों हेतु बाजार तक पहुंच का निर्माण।

परियोजना के उद्देश्य

(i) जल उपयोगकर्ता समितियों द्वारा सतत् रूप से प्रबन्धित 6000 हेक्टेअर भूमि को आच्छादित करते हुए जलवायु अनुकूल 162 सिंचाई प्रणालियों का निर्माण तथा पुनरूद्धार करना।

(ii) टिकाऊ तथा वित्तीय रूप से लाभदायक उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उपयोग करते हुए उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के उच्च घनत्व बागानों की स्थापना करने हेतु किसानों की क्षमता का निर्माण करना।

(iii) फसलोपरांत हानियों को कम करने के लिए, मूल्यवर्धन करने और किसानों तथा बाजार के बीच संपर्क बढाने के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत करते हुए विभिन्न अवसरंचनाओं, जिसे किसान उत्पादक संगठनों द्वारा प्रबन्धित किया जाए, की स्थापना करना।

परियोजना के तहत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य

एचपीशिवा परियोजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को समुदाय की सक्रिय भागीदारी से संचालित/ क्रियान्वित किया जाएगा।

- निजी भूमि पर वर्तमान तथा भावी बागवानों को सहयोग प्रदान करने हेतु उपोष्णकटिबंधीय फलों के उच्च घनत्व बागीचों की स्थापना।
- टपक (ड्रिप) सिंचाई सहित विभिन्न सिंचाई अवसंरचनाओं का विकास/की स्थापना।
- परियोजना लाभार्थियों का क्षमता विकास।
- मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु परियोजना लाभार्थियों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- परियोजना लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना।
- परियोजना लाभार्थियों तथा उनके संगठनों को विभिन्न सेवा प्रदाताओं/संस्थाओं/कम्पनियों से जोडना।
- फल उत्पादों के सामुहिक उत्पादन, प्रबन्धन तथा विपणन के लिए परियोजना लाभार्थियों को सामुदायिक बागवानी उत्पादक एंव विपणन (सीएचपीएमए) सहकारी समितियों तथा उनके शीर्ष संस्थान के रूप में संगठित करना तथा क्षमता निर्माण करना।
- सिंचाई सुविधाओं के प्रबन्धन तथा उपयोगकर्ता शुल्क के एकत्रीकरण/उपयोग हेतु जल उपयोगकर्ता समितियों (डब्लू0यू0ए0) का गठन तथा क्षमता निर्माण करना।
- राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जुडाव/अभिसरण (Convergence)।
- किसानों द्वारा उत्पादित फसलों के एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन तथा विपणन हेतु ढांचागत अवसंरचनाओं का विकास करना।
- सामुदायिक बागवानी उत्पादक एंव विपणन (सीएचपीएमए) सहकारी समितियों का बाजार से जुडाव।

परियोजना क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

परियोजना के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित संस्थागत व्यवस्थाओं को चित्र 1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

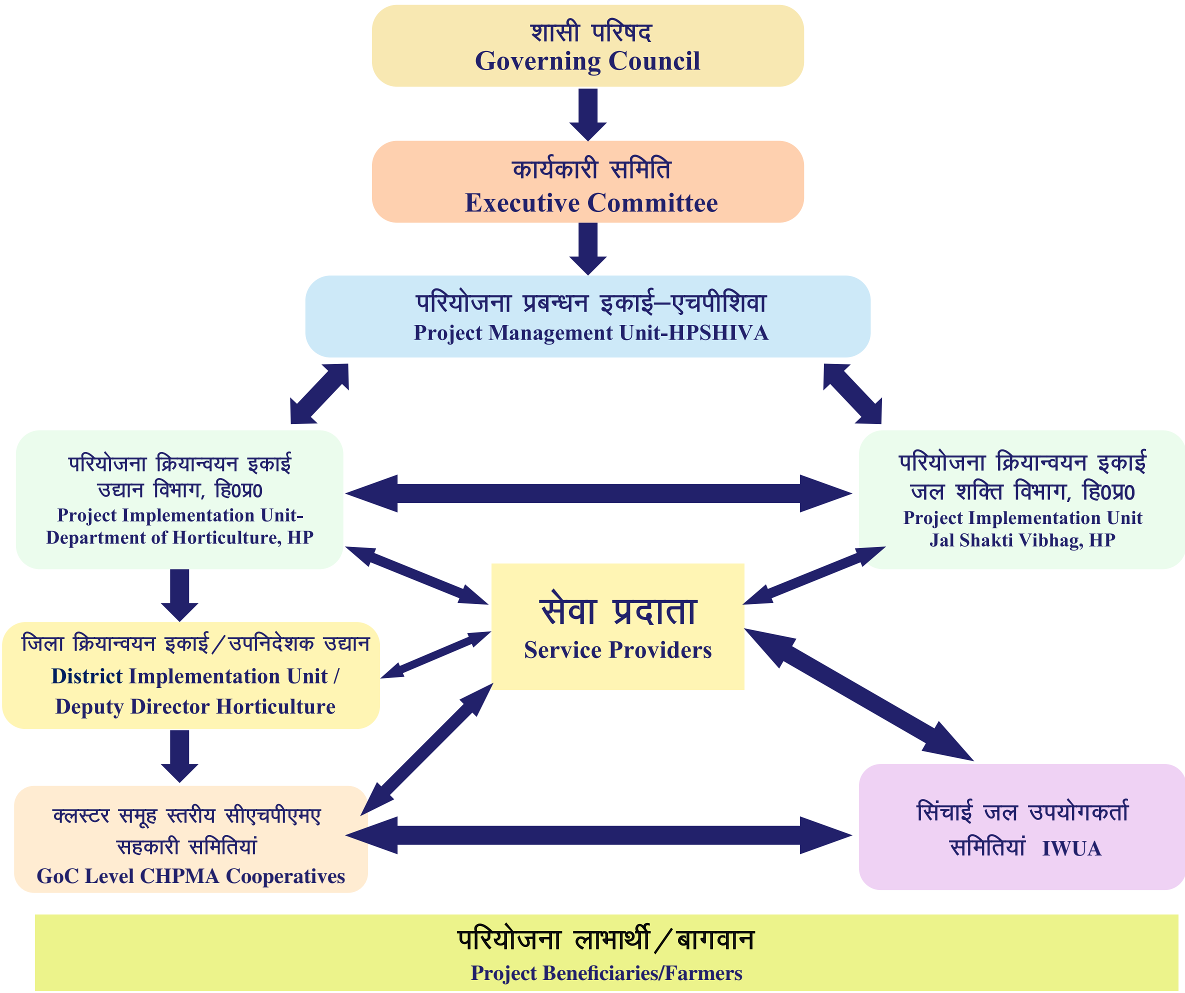

चित्र १- परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

क्लस्टर विकास के प्रमुख चरण

एचपीशिवा परियोजना के तहत किसी क्लस्टर का विकास चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों तथा उनके द्वारा गठित सीएचपीएमए सहकारी समितियों की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी।

चरण	गतिविधि	कार्य	उत्तरदायित्व
चरण 1	क्लस्टर का चयन	• किसानों के साथ बैठक का आयोजन– परियोजना कार्यों की जानकारी / जागरूकता प्रसार। • क्लस्टर स्थापना हेतु बागवानों की सहमति प्राप्त करना। • भूमि तथा सिंचाई जल की उपलब्धता का सर्वेक्षण तथा क्लस्टर चिन्हीकरण/चयन। • भौतिक/टोपोग्राफी सर्वेक्षण।	पीएमयू/ पीआईयू/ डीआईयू
चरण 2	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	• चिन्हित क्लस्टर के तहत किसानों की भूमि का सत्यापन।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू

		• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।	
चरण 3	क्लस्टर विकास योजना का निर्माण	• सिंचाई योजना तैयार करना। • क्लस्टर के विकास हेतु अवसंरचनाओं (बाड, ड्रिप सिंचाई, सिंचाई जल संग्रहण टैंक, जल वितरण टैंक, भण्डार गृह, आदि) की योजना तैयार करना। • मानकों के आधार पर उपयुक्त फल फसल का चयन। • विभिन्न कार्यों हेतु निविदा के माध्यम से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अनुबंधित करना।	पीएमयू/ पीआईयू/ फैसिलिटेटिंग फर्म
	सीएचपीएमए का गठन	• बागवानों के साथ बैठक का आयोजन– परियोजना कार्यों की जानकारी, सीएचपीएमए गठन के उद्देश्य, प्रक्रिया तथा संभावित लाभ की जानकारी / जागरूकता प्रसार। • क्लस्टर समूह में सीएचपीएमए की भूमिका को रेखांकित करना। • क्लस्टर स्तर पर सीएचपीएमए समूह का गठन। • प्रत्येक लाभार्थी द्वारा भागधन/शेयर एकत्रित कर समूह का बैंक खाता खोलना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ फैसिलिटेटिंग फर्म
	जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) का गठन	• बागवानों के साथ बैठक का आयोजन– परियोजना कार्यों की जानकारी, WUA के गठन के उद्देश्य, प्रक्रिया तथा संभावित लाभ की जानकारी/जागरूकता प्रसार। • सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव एवं प्रबन्धन में WUA की भूमिका को रेखांकित करना। • WUA का गठन। • सिंचाई अवसंरचनाओं/सुविधाओं के उपयोग हेतु नियम तैयार करते हुए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ फैसिलिटेटिंग फर्म
चरण 4	क्लस्टर विकास का कार्य करना	• अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से क्लस्टर विकास योजना के अनुसार कार्यों (खेत की तैयारी, बाडबंदी, रोपण हेतु गड्डे, सिंचाई अवसरंचनाओं का निर्माण) को संपादित करना। • सीएचपीएमए द्वारा निर्माण/विकास कार्यों की निगरानी करना तथा सहयोग करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू
	चयनित फल फसल का रोपण	• चयनित फल फसल की पौध क्लस्टर स्तर पर उपलब्ध कराना। • लाभार्थियों द्वारा निर्धारित स्थान पर पौध रोपण करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ CHPMA
	ड्रिप सिंचाई सुविधाओं का विकास करना	• पौध रोपण के उपरांत ड्रिप सिंचाई सुविधाओं का विकास/की स्थापना करना। • WUA द्वारा बागवानों की सहायता से स्थापित की गयी ड्रिप सिंचाई प्रणाली की निगरानी, रखरखाव एवं संचालन करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ CHPMA/ WUA

	क्लस्टर समूह स्तर पर सीएचपीएमए सहकारी समिति का गठन एवं पंजीकरण	• क्लस्टर समूह स्तर पर सीएचपीएमए सहकारी समिति का गठन एवं पंजीकरण करना। • सीएचपीएमए सहकारी समिति हेतु व्यवसाय योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। • परियोजना के अंतर्गत निर्मित/सृजित अवसंरचनाओं/ सुविधाओं के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु सीएचपीएमए सहकारी समितियों /सीएचपीएमए समूह/WUA की भूमिका को रेखांकित करते हुए नियमों का तैयार करना तथा अनुपालन करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ CHPMA/ WUA/ फैसिलिटेटिंग फर्म
	क्लस्टर समूह स्तर पर संग्रहण केन्द्र की स्थापना	• क्लस्टर समूह स्तर पर संग्रहण केन्द्र हेतु सीएचपीएमए की सहायता से उपयुक्त स्थल का चयन करना। • संग्रहण केन्द्र की स्थापना करना।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ CHPMA/ WUA/ फैसिलिटेटिंग फर्म
चरण 5	अवसंरचनाओं/ सुविधाओं का हस्तान्तरण	• परियोजना कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत निर्मित/सृजित की गयी अवसंरचनाओं/ सुविधाओं का सीएचपीएमए सहकारी समितियों /सीएचपीएमए समूह/WUA को हस्तान्तरित करना। • हस्तान्तरित की गयी अवसंरचनाओं/ सुविधाओं का सीएचपीएमए सहकारी समितियों/ सीएचपीएमए समूह/WUA द्वारा प्रबन्धन एंव संचालन।	पीआईयू/ डीआईयू/ बीआईयू/ CHPMA/ WUA

परियोजना तथा लाभार्थी योगदान

परियोजना कार्यों में लाभार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संपादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु भौतिक अथवा वित्तीय योगदान का निर्धारण किया गया है। परियोजना के अंतर्गत चिन्हित विभिन्न गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कार्यों/सुविधाओं हेतु लाभार्थियों को परियोजना मानकों के अनुसार निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

एचपीशिवा परियोजना के अंतर्गत फार्म स्तर पर किये जाने वाले कार्य तथा लाभार्थी/परियोजना योगदान का विवरण

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	लाभार्थी योगदान	औसत मानव दिवस प्रति हे0 प्रति वर्ष	उद्यान विभाग द्वारा अनुबंध/RFQ/निविदा के माध्यम से परियोजना योगदान	टिप्पणी
1	खेत की तैयारी	क. खेत की सफाई (झाडी, पत्थरों, आदि को हटाना) ख. पौधरोपण से पूर्व गोबर खाद तथा उर्वरक को मिलाना तथा गड्ढों में डालना। ग. गड्ढों का भरान	30 20 15	क. फसल के अनुसार लेआउट तैयार करना। ख. भूमि का विकास 1. भूमि समतलीकरण 2. टेरेस तैयार करना। ग. भूमि की सतह से उठी हुई क्यारियां (Bed) तैयार करना (उठी हुई क्यारियां तैयार करने हेतु पौधों की लाइन में ढेले तोडना, मेढ बनाना तथा समतल करना)। कूडे तथा अतिरिक्त मिट्टी, आदि को हटाना। घ. गड्डों को तैयार करना।	प्रति हे0 प्रति हे0 प्रति हे0 सं0
2	उद्यान उपकरण तथा मशीनें 1. पलवार (Mulch) बिछाना	पलवार (Mulch) को क्यारियों/पौधों के तौलिये में बिछाना।	18	–	प्रति हे0
	2. उद्यान उपकरण तथा मशीनें	उद्यान उपकरणों तथा मशीनों को संभालना/ उपयोग करना तथा रखरखाव करना।	7	उद्यान उपकरण तथा मशीनों का क्रय करना।	प्रति इकाई
3	उद्यान सामग्री (inputs)	क. गोबर की खाद की व्यवस्था करना (10 किग्रा/पौधा) ख. रोपण के उपरांत उर्वरक का प्रयोग तथा कीटनाशक, खरपतवारनाशक दवाओं का छिडकाव।	– –	उद्यान सामग्री– कीटनाशक, उर्वरक आदि का क्रय करना। (एकमुश्त – प्रथम दो वर्ष हेतु)	प्रति हे0
4	रोपण सामग्री/ पौधों का क्रय करना	क. पौध रोपण स्थल के चिन्हांकन हेतु खूंटी की व्यवस्था करना। ख. रोपण हेतु गड्ढा तैयार करना। ग. सडक से रोपण स्थल तक पौधों का ढुलान। घ. फल पौध का रोपण। ड. पौधों को खूंटी से बांधना/सहारा देना। च. लाइनों के मध्य खरपतवार को साफ करना। छ. उद्यान प्रबन्धन करना। ज. पौधों की समय–समय पर कंटाई–छंटाई करना।	5 10 2 10 12 50 20 50	रोपण सामग्री/पौधों का क्रय तथा उप–परियोजना स्थल तक ढुलान (निकटस्थ रोड हेड तक)	प्रति पौधा 10 मानव दिवस प्रति हे0 की दर से प्रतिवर्ष 5 बार खरपतवार निवारण।

5	फार्म/ क्लस्टर स्तरीय जल भण्डारण टैंक	क. क्लस्टर के अंतर्गत जल भण्डारण टैंक की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान तथा उपलब्धता। ख. जल भण्डारण टैंक की सफाई तथा फ्लशिंग	– 7	माड्यूलर/आर0सी0सी0 जल भण्डारण टैंक की अधिप्राप्ति/क्रय तथा स्थापना	प्रति इकाई
	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली	टपक सिंचाई प्रणाली का संचालन तथा रखरखाव i- पौधों का पानी देना। ii- उर्वरकों का छिडकाव/ उपयोग iii- टपक सिंचाई प्रणाली की सफाई तथा फ्लशिंग iv- टपक सिंचाई तथा उर्वरक छिडकाव प्रणाली का रखरखाव	 72 36 12 12	टपक सिंचाई प्रणाली हेतु सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइनिंग, अधिप्राप्ति/क्रय तथा स्थापना	फल पौध के मध्य 3x3, 4x4 तथा 6x6 मी0 दूरी
6	पशु रोधी बाडबंदी	सामयिक जांच, संचालन तथा रखरखाव	10	सौर ऊर्जा आधारित इंटरलिंक्ड चेन बाड (Interlinked chain fencing) की अधिप्राप्ति/क्रय तथा स्थापना	प्रति रनिंग मी0
7	सिंचाई योजना का निर्माण /पुनरूद्धार तथा रखरखाव	–	–	सिंचाई योजना का सर्वेक्षण, अधिप्राप्ति तथा स्थापना (जल शक्ति विभाग के माध्यम से)	परियोजना के प्रावधानों के अनुसार
8	क्लस्टर स्तरीय मुख्य वितरण टैंक (एमडीटी)	–	–	मुख्य वितरण टैंक (आर0सी0सी0) की अधिप्राप्ति तथा स्थापना (जल शक्ति विभाग के माध्यम से)	प्रति इकाई
9	क्लस्टर समूह स्तर पर संग्रहण केन्द्र (Collection Center) की स्थापना	क. संग्रहण केन्द्र हेतु भूमि की पहचान तथा उपलब्धता। ख. भूमि तैयार करना। ग. स्थापना/हस्तान्तरण के उपरांत संग्रहण केन्द्र का संचालन तथा प्रबन्धन।	30 (एक बार) 15 (एक बार) नियमित	संग्रहण केन्द्र की अधिप्राप्ति/क्रय तथा स्थापना	प्रति इकाई लाभार्थी संग्रहण केन्द्र हेतु क्लस्टर समूह में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना का उद्देश्य समस्त परियोजना लाभार्थियों को क्लस्टर तथा क्लस्टर समूह[1] स्तर पर संगठित कर समुदाय की सहभागिता से फसल पूर्व उत्पादन तथा फसलोपरांत गतिविधियों को संगठन के माध्यम से संचालित कर समग्र तथा समावेशी विकास करना है। परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समस्त परियोजना लाभार्थियों को क्लस्टर स्तर पर सीएचपीएमए समूह, क्लस्टर समूह स्तर पर सीएचपीएमए सहकारी समितियों तथा राज्य स्तर पर किसान उत्पादक कम्पनी (एफपीसी) के रूप में संगठित किया जा रहा है।

सीएचपीएमए के गठन का उद्देश्य

- परियोजना लाभार्थियों को संगठित करते हुए ऐसे विधिक संगठन तैयार करना, जो सामुहिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें।
- बागवानी विकास कार्यों के नियोजन में लाभार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- लाभार्थियों की क्षमता विकास करना तथा व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करना।
- परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन, निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) में लाभार्थियों की सामुहिक भागीदारी तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
- सीएचपीएमए सहकारी समितियों को शीर्ष संगठन के रूप में संघबद्ध करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से मूल्य वर्धन (Value Addition) तथा बाजार पहुंच (Market Access) को बेहतर करना।
- परियोजना समाप्ति के उपरांत परियोजना के माध्यम से सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों का सहभागिता से प्रबन्धन एवं उपयोग सुनिश्चित करना।

एचपीशिवा परियोजना में सीएचपीएमए की भूमिका

एचपीशिवा परियोजना के अंतर्गत सीएचपीएमए सहकारी समितियां अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। परियोजना प्रबन्धन इकाई, एचपीशिवा द्वारा लक्षित फल उत्पादों के उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन तथा विपणन हेतु विभिन्न अवसंरचनाओं/सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। एचपीशिवा परियोजना के अन्तर्गत निर्मित अधिकांश अवसंरचनाएं/सुविधाएं परियोजना समाप्ति के उपरांत सीएचपीएमए के द्वारा प्रबन्धित एवं संचालित की जाएंगी, जो क्लस्टर विकास कार्यों के पूर्ण होने अथवा परियोजना समाप्ति के उपरांत इन अवसंरचाओं/सुविधाओं की सततता या स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना प्रबन्धन इकाई, एचपीशिवा द्वारा सीएचपीएमए समूह तथा सीएचपीएमए सहकारी समितियों के संचालन तथा क्षमता विकास हेतु विभिन्न हितभागियों से जोडने के साथ ही तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत स्थापित विभिन्न अवसंरचनाओं तथा सुविधाओं को सीएचपीएमए समूहों या सीएचपीएमए सहकारी समितियों या उनके शीर्ष संगठन को चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरित किया जाएगा। परियोजना के दौरान अथवा इसके उपरांत सीएचपीएमए समूह अथवा सीएचपीएमए सहकारी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे–

[1] ***क्लस्टर समूह*** *(Group of Clusters or GoC)* एचपीशिवा परियोजना के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे एक या एक से अधिक क्लस्टरों का वह क्षेत्र है, जो एक दूसरे से 5–10 किमी क्षेत्रफल की परिधि में स्थित हो अथवा जिसमें परियोजना लाभार्थियों/परिवारों की संख्या 100 से अधिक हो। यद्यपि क्लस्टर समूह के निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों जैसे फल फसलों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल, उपलब्ध भौतिक संसाधन, आगत व उत्पाद आपूर्ति/परिवहन के साधन, उपलब्ध अवसंरचनाएं यथा सडक, पानी, भण्डार गृह आदि, ग्राम/क्लस्टर में परिवारों का घनत्व, आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा।

i. परियोजना के तहत क्लस्टर/क्लस्टर समूह या जिला स्तर पर स्थापित की गयी अवसंरचनाओं अथवा सुविधाओं का संचालन तथा प्रबन्धन करना। प्रत्येक स्थापित तथा हस्तान्तरित की गयी परिसंपत्ति को सीएचपीएमए समूह या जल उपयोगकर्ता समिति या सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा सूचीबद्ध (Inventorize) करते हुए व्यवस्थित करना। सीएचपीएमए समूह/जल उपयोगकर्ता समिति/सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा परियोजना के माध्यम से उन्हें हस्तान्तरित की गयी अवसंरचना के संचालन तथा प्रबन्धन हेतु इनके उपयोग हेतु आवश्यक नियम तैयार कर सुनिश्चित करना।

ii. क्लस्टर के किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लक्षित फलों के सामुहिक उत्पादन, मूल्य वर्धन तथा विपणन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

iii. सीएचपीएमए समूह/सीएचपीएमए सहकारी समिति के सदस्यों या बागवानों की आय को बढाने के लिए अन्य संबधित व्यवसायिक गतिविधियों को अपनाना। प्रत्येक सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक व्यवसायिक योजना तैयार करना।

iv. सदस्यों को परियोजना गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी तथा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करना। सीएचपीएमए सहकारी समिति अपने सदस्यों के कौशल, योग्यता एवं रूचि के अनुसार समिति द्वारा संचालित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

v. क्लस्टर तथा क्लस्टर समूह के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समिति के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रसार के लिए कार्य करना।

vi. सहकारी समिति द्वारा सामुहिक तथा समान फार्म प्रबन्धन पद्यतियों, सिंचाई जल के प्रभावी तथा विवेकपूर्ण उपयोग, मूल्य वर्धन, फल प्रसंस्करण, उद्यान सामग्री के क्रय तथा उत्पादों का विपणन, आदि कार्य किये जाएंगे। सिचांई, गोबर की खाद एवं उर्वरक के प्रयोग, कटाई एवं छंटाई, चालू वर्ष (मौसमवार) के लिए उर्वरक मांग का आंकलन, आगतों की खरीद की प्रक्रिया, लक्षित मात्रा के सापेक्ष फलों की खरीद का वार्षिक कैलेण्डर, लाभार्थियों को भुगतान की विधि या प्रणाली, आदि को दर्शाते हुए समिति एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी। कार्य योजना में चिन्हित गतिविधियों व कार्यों में से प्रत्येक के लिए उत्तरदायी सदस्य/सदस्यों के समूह का विवरण उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य सहित दिया जाएगा।

vii. सदस्यों तथा सीएचपीएमए समूहों को फार्म स्तरीय छंटाई/ग्रेडिंग तथा परिवहन हेतु सहायता प्रदान करना। सहकारी समिति के स्तर पर सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग, विपणन, आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए समिति किये गये कार्य हेतु मानदेय प्रदान करने का निर्णय ले सकती है। सहकारी समिति आवश्यकता के अनुसार कार्यक्षेत्र के गैर सदस्यों को भी ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए सहकारिता की प्रबन्धक समिति के निर्णय के अनुसार मानदेय/वेतन के आधार पर अनुबंधित कर सकती है।

viii. विभिन्न तकनीकी, वित्तीय, सेवा प्रदाताओं (फसल बीमा, खाद व कीटनाशक आपूर्तिकर्ता, तकनीकी सेवा, आदि), ट्रांस्पोर्टरस् तथा विपणन ऐजेन्सियों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना तथा अपने सदस्यों को इन सेवाओं से संबधित लाभ प्राप्त करने में सहायता करना।

ix. सदस्यों के प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास हेतु कार्य करना तथा सदस्यों की प्रशिक्षण एवं व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करना।

x. सदस्यता शुल्क, सदस्यता हिस्सा, उपयोगकर्ता शुल्क, दण्ड शुल्क, आदि के नियमित एकत्रीकरण हेतु उचित प्रणाली स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इस हेतु एकत्रित की गयी धनराशि नियमित रूप से समिति के बैंक खाते में जमा की जा रही हो।

xi. सदस्यों द्वारा आवेदन या शिकायतों या मांग का निस्तारण प्राथमिकिता के आधार पर करते हुए समिति की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना।

xii. विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में धन (Funds) का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए संचालन करना तथा सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

xiii. हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 तथा इसके संबध में तैयार किये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करना, उनका रखरखाव करना और समिति द्वारा संचालित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ अपने सदस्यों में उचित एवं न्यायसंगत विधि से वितरित करना।

xiv. सदस्यों के मध्य भूमि, सिंचाई सुविधाओं के संचालन एवं प्रबन्धन, सिंचाई जल की आपूर्ति एवं वितरण, खाद व उर्वरक तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, फसलोपरांत प्रबन्धन, विपणन, भण्डारण, परिवहन, सडक तक पहुंच, सदस्यों के मध्य कानूनी मसले/विवाद आदि से संबधित समस्त विवादों के निपटारे में सहायता करना।

xv. क्लस्टर को प्लास्टिक एवं अन्य हानिकारक कचरे से मुक्त रखने हेतु सदस्यों को जागरूक तथा प्रेरित करना, सिंचाई जल के दुरूपयोग को कम करने अथवा जल के अनावश्यक बहाव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना, परागणकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु क्लस्टर की बाड़ के साथ–साथ फूलों को रोपित करने तथा पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढावा देना।

xvi. परियोजना के अंतर्गत पत्रांक सं0 19-27(EAP-HPSHIVA-E-Tender-CS02) 2020-21-Part-5 दिनांकित 24 फरवरी 2022 के माध्यम से विवादों के निपटारे हेतु अधिसूचित विवाद निपटारा प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism) के तहत एक विवाद निपटारा समिति का गठन सुनिश्चित करते हुए विवादों का निपटान करना।

सीएचपीएमए का ढांचा

प्रत्येक क्लस्टर के स्तर पर बागवानों को संगठित कर सीएचपीएमए समूह गठित किये जाएंगे। यहां समूह अनौपचारिक होंगे तथा किसान ऐच्छिक समूह (FIG) के समान कार्य करेंगे। दो या दो से अधिक क्लस्टर को जोडते हुए क्लस्टर समूह के स्तर पर एक सीएचपीएमए सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 100 परियोजना लाभार्थी/सदस्यों की अनिवार्यता रखी गयी है। क्लस्टर समूह के स्तर पर गठित सीएचपीएमए सहकारी समिति को हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत गठित की गयी प्रत्येक सीएचपीएमए सहकारी समिति को संगठित करते हुए राज्य स्तर पर किसान उत्पादक कम्पनी के रूप में एक सीएचपीएमए शीर्ष संगठन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी सीएचपीएमए सहकारी समितियां सदस्य होंगी। परियोजना के तहत सीएचपीएमए का ढांचा चित्र 2 में दर्शाया गया है–

सीएचपीएमए सहकारी समितियों के विकास की प्रक्रिया

परियोजना के तहत गठित की जा रही सीएचपीएमए समितियों के विकास की प्रक्रिया का विवरण चित्र 3 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

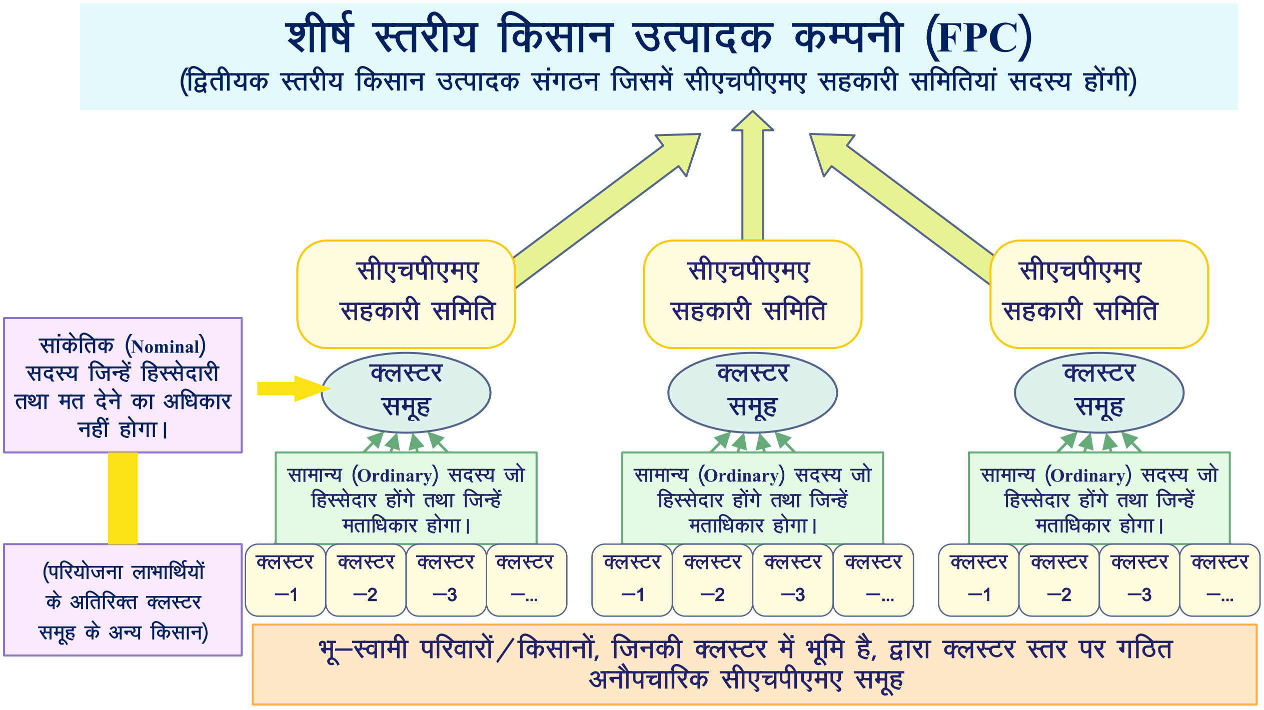

चित्र 2– एचपीशिवा परियोजना के तहत समुदाय को संगठनों में संगठित करने हेतु ढांचागत व्यवस्था

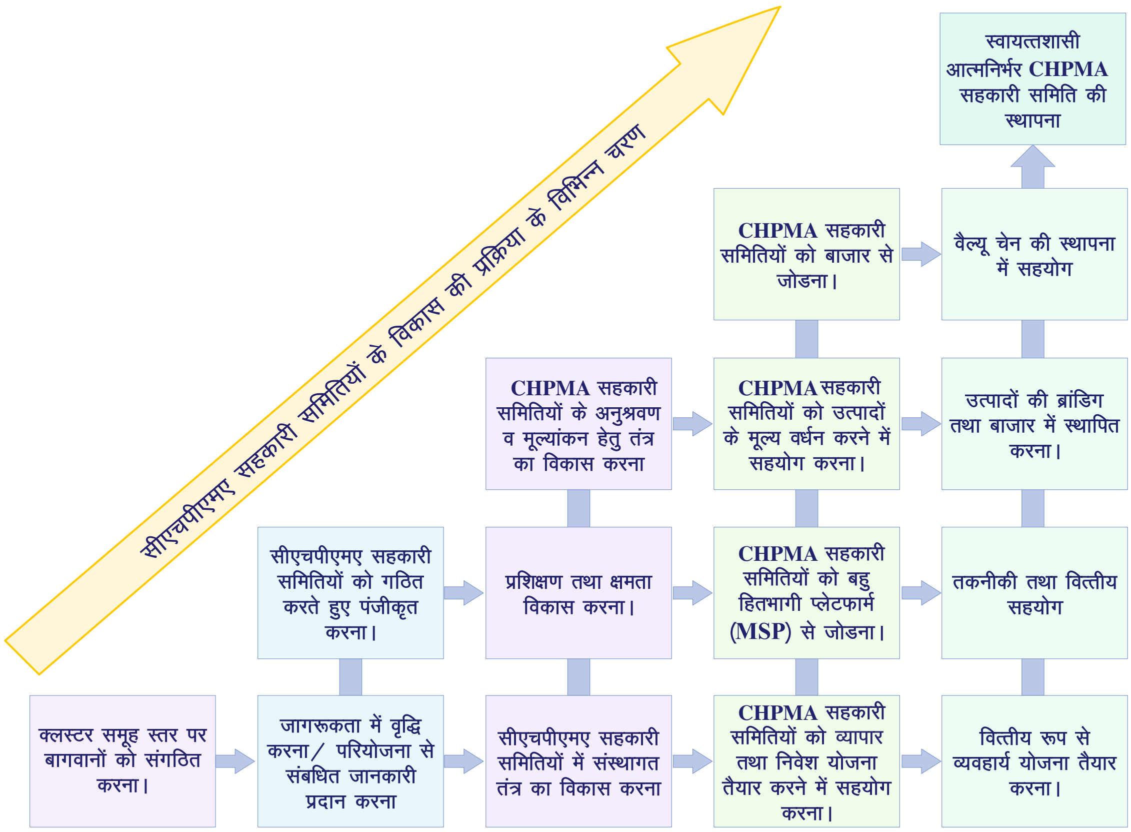

चित्र 3- सीएचपीएमए सहकारी समितियों के विकास के विभिन्न चरण

सीएचपीएमए का प्रबन्धन

परियोजना के तहत क्लस्टर तथा क्लस्टर समूह स्तर पर क्रमशः गठित किये जा रहे सीएचपीएमए समूह/सीएचपीएमए सहकारी समितियों तथा जल उपयोगकर्ता संघों का प्रबन्धन क्रमशः सीएचपीएमए सहकारी समितियों एवं हेतु जल उपयोगकर्ता संघों हेतु तैयार किये गये मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर सीएचपीएमए समूह का संचालन लाभार्थियों द्वारा निर्वाचित की गयी सीएचपीएमए की प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाएगा। इस हेतु परियोजना के अंतर्गत नियुक्त किये गये सीएचपीएमए फैसिलिटेटर प्रबन्धक समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रत्येक क्लस्टर समूह पर गठित की जा रही सीएचपीएमए सहकारी समिति में विभाग के द्वारा क्लस्टर इंचार्ज को पदेन (Ex-officio) अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) (अवैतनिक) के रूप में नामित किया गया है। अतएव यह क्लस्टर इंचार्ज का दायित्व होगा कि वह सीएचपीएमए फैसिलिटेटर की सहायता से सीएचपीएमए सहकारी समिति की नियमावली, सीएचपीएमए मैनुअल तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 के अनुसार समिति के कार्यों के प्रबन्धन व संचालन में प्रबन्धन समिति का सहयोग करे।

प्रत्येक क्लस्टर समूह पर सीएचपीएमए की प्रबन्धक समिति में नियमावली (Bye-laws) में निधारित प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार क्लस्टर समूह के समस्त क्लस्टरों को वार्ड में विभाजित कर वार्डवार सदस्यों का विवरण संकलित एवं अभिलिखित (documented) किया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रबन्धक समिति द्वारा अद्यतन (update) किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण समिति की प्रबन्धक समिति द्वारा संबधित सीएचपीएमए फैसिलिटेटर तथा क्लस्टर इंचार्ज/उद्यान विकास अधिकारी की सहायता से किया जाएगा।

प्रत्येक शेयर धारक (जिसने नियमावली के अनुसार शेयर पूंजी का निवेश किया हो) समिति के चुनावों में प्रतिभाग कर सकेगा। समिति में नए सदस्यों के प्रवेश, पंजीकरण तथा परियोजना के तहत मिलने वाले लाभ को सर्वसहमति से प्रबन्धक समिति द्वारा नियमावली के अनुसार बिना किसी भेदभाव के निर्धारित किया जाएगा, जिसमें संबधित सीएचपीएमए फैसिलिटेटर तथा क्लस्टर इंचार्ज/ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

सीएचपीएमए सहकारी समिति की प्रबन्धक समिति की एक वर्ष मे न्यूनतम 4 बैठकें आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा तथा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन प्रत्येक वर्ष पिछली बैठक की तिथि से 15 माह की अवधि के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। संबधित क्लस्टर इंचार्ज, जो क्लस्टर समूह पर गठित सीएचपीएमए सहकारी समिति में पदेन अधिशासी अधिकारी होंगे, को इन बैठकों में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकता है।

जल उपयोगकर्ता संघों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व बागवानों द्वारा निर्वाचित संघ की प्रबन्धन समिति करेगी तथा सीएचपीएमए/WUA फैसिलिटेटर एवं क्लस्टर इंचार्ज द्वारा इस समिति को आवश्यक सहयोग व सहायता प्रदान की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?

1. सीएचपीएमए क्या है?

सीएचपीएमए का अर्थ है सामुदायिक बागवानी उत्पादक एवं विपणन, जिसे क्लस्टर स्तर पर सीएचपीएमए समूह तथा क्लस्टर समूह के स्तर पर सीएचपीएमए सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है।

2. इसके सदस्य बनने के लिये क्या योग्यता होनी चाहिए?

समिति का सदस्य बनने के लिए हिमाचल का मूल निवासी होना, समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी होना तथा परियोजना के तहत लाभार्थी होना अनिवार्य है। समिति का सदस्य बनने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया न हो तथा अपराध के किसी मामले में सजायाफ्ता न हो। समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में सीएचपीएमए की नियमावली तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं नियम, 1971 में निर्धारित योग्यताओं का होना भी आवश्यक है।

3. क्या सीएचपीएमए को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है?

व्यवसायिक गतिविधियों को कानूनी रूप से संचालन, सरकार द्वारा बनाये गये नियमों व कानूनों के अनुपालन तथा व्यवसायिक साझीदारों/हितधारकों में समिति की गतिविधियों के प्रति भरोसा व विश्वास बनाये रखने के लिए क्लस्टर समूह स्तरीय सीएचपीएमए सहकारी समिति का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। क्लस्टर स्तरीय सीएचपीएमए समूह क्योंकि एक अनौपचारिक समूह है, अतएव इसे पंजीकृत किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4. क्या एक परिवार के एक से अधिक लोग सीएचपीएमए के सदस्य बन सकते हैं?

नहीं।

5. सीएचपीएमए समूह/सीएचपीएमए सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?

सीएचपीएमए समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 के अनुसार किसी सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, परन्तु परियोजना के अन्तर्गत गठित की जा रही प्रत्येक सीएचपीएमए सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 100 होगी। परियोजना के तहत गठित की जा रही सहकारी समितियों में व्यवसाय की व्यवहारिकता, व्यवसाय को लाभकारी बनाने तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सीएचपीएमए सहकारी समितियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या को 100 निर्धारित किया गया है।

6. सीएचपीएमए की प्रबन्धक समिति में न्यूनतम तथा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

सीएचपीएमए समूह की प्रबन्धक समिति में 5–11 सदस्य हो सकते हैं तथा सीएचपीएमए सहकारी समिति में प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या, सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सहित, न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 21 हो सकती है।

7. क्या इसमें परियोजना लाभार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसान/व्यक्ति भी सीएचपीएमए के सदस्य हो सकते हैं?

हां। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 17 के अनुसार कोई समिति दो तरह (क) नामिनल या सांकेतिक, तथा (ख) एसोसिएट सदस्य बना सकती है। सांकेतिक या एसोसिएट सदस्य को समिति के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, न ही वह समिति की सदस्यता के लिए पात्र होगा, और न ही वह समिति की नियमावली में प्रदत्त ऐसे विशेषाधिकार और अधिकारों, जो उसे किसी साधारण सदस्य पर वरीयता प्रदान करें, का हकदार होगा। ऐसे व्यक्ति, जो तकनीकी रूप से साधारण सदस्य नहीं बन सकते हैं अथवा शेयरधारक बनने मे रूचि नहीं रखते हैं परन्तु समिति की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं अथवा सहकारी समिति के साथ व्यवसायिक लेन–देन करना चाहते हैं, सांकेतिक या एसोसिएट सदस्य बन सकते हैं।

8. क्या सीएचपीएमए सहकारी समिति के सदस्य अन्य सहकारी समितियों के सदस्य हो सकते हैं?

कोई भी सदस्य समान प्रकृति की दो सहकारी समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई सदस्य पहले से ही किसी सहकारी समिति का सदस्य है तो दूसरी समिति का सदस्य बनने से पूर्व उसे पहली समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ पंजीयक की अनुमति भी प्राप्त करनी होती है और दूसरी समिति, जिसका वह सदस्य बनने का इच्छुक है, उसे भी इस संबध में शपथपत्र के माध्यम से लिखित सूचना उपलब्ध करनी होती है।

9. सीएचपीएमए सहकारी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 34 की उपधारा 4 के अनुसार किसी प्रबन्धक समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा नवीन प्रबन्धक समिति चुने जाने, जो भी पहले हो, तक होता है।

10. सीएचपीएमए सहकारी समिति का स्वामित्व किसका होता है?

सहकारी सभा का स्वामित्व उसके सदस्यों का होता है। यह उत्पादकों द्वारा गठित संगठन है, जो सदस्यों का और सदस्यों के लिए होता है। समिति के कार्यों व व्यवसाय का प्रबन्धन व संचालन सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाता है।

11. सहकारी समिति के शेयर क्या हैं तथा क्यों लिए जाते हैं?

सहकारी समिति स्वयं में एक व्यवसायिक संगठन है, जिसमें सदस्यों द्वारा शेयर क्रय कर सहभागिता से पूंजी निवेश किया जाता है। किसी सदस्य द्वारा क्रय किये गये शेयर उस सहकारी सभा में उसकी हिस्सेदारी को निर्धारित करते हैं। सदस्यों द्वारा शेयर क्रय कर उस समिति के द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के लिए आंशिक पूंजी जुटाई जाती है, जिससे कि व्यवसाय के लिए लिये जाने वाले संभावित ऋण के बोझ को कम किया जा सके।

12. क्या सभी सदस्यों को एक समान शेयर देना होता है?

पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेश सं0 10–124/90–Coop. (A&L) दिनांक 11 जून 1996 के अनुसार श्रेणी 2 के अन्तर्गत पंजीकृत की जाने वाली सहकारी समितियों हेतु प्रत्येक शेयर का मूल्य रू0 500 निर्धारित करते हुए न्यूनतम शेयर कैपिटल रू0 20000 निर्धारित किया गया है। परियोजना के तहत गठित व पंजीकृत की जा रही सीएचपीएमए सहकारी समिति के सदस्यों हेतु समिति के न्यूनतम 4 शेयर (प्रत्येक का मूल्य रू0 500) क्रय करने को अनिवार्य किया गया है। परन्तु कोई भी सदस्य समिति की नियमावली में निर्धारित शेयर कैपिटल (जो कि रू0 20,00,000 निर्धारित किया गया है) के 1/5 भाग अथवा एक लाख मूल्य तक के शेयर क्रय किये जा सकते हैं।

13. क्या सभी सदस्यों को शेयर लेना आवश्यक है?

हां। समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की सदस्यता तभी मान्य होती है जबकि उसके द्वारा समिति की नियमावली में निर्धारित न्यूनतम शेयर राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

14. क्या शेयर के अतिरिक्त भी कोई धनराशि सदस्यों को देनी होती है?

सदस्यों को शेयर राशि के अतिरिक्त समिति द्वारा निर्धारत सदस्यता पंजीकरण शुल्क भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं जैसे सिंचाई सुविधाओं, विभिन्न अवसरंचनाओं की देखरेख व मरम्मत, आदि हेतु भी समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क या सुविधा शुल्क का भुगतान भी सदस्यों को करना होता है।

15. सीएचपीएमए के व्यवसाय के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है?

सहकारी सभा के दैनिक कामकाज, प्रबन्धन तथा व्यवसाय के संचालन के लिए समिति की प्रबन्धन समिति जिम्मेदार होती है। प्रबन्धन समिति अपने सहयोग के लिए अन्य सदस्यों को नामित कर उप–समितियां जैसे शिक्षा समिति, अधिप्राप्ति समिति, विपणन समिति, निगरानी समिति, लेखा पर्यवेक्षण समिति, आदि गठित कर सकती है। यह उप समितियां प्रबन्धन समिति के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

16. व्यवसाय के लिए पूंजी कैसे जुटाई जा सकती है?

सीएचपीएमए सहकारी समिति निम्न स्रोतों से निधियां (Fund) जुटा सकती है –

- समिति की नियमावली की शर्तों के अनुसार सदस्यों से भागधन/हिस्सा पूंजी (Share Capital), अनुदान (Grant), निक्षेप (Deposit) तथा ऋण (Loan) के द्वारा।
- बैकों, संस्थाओं, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में, निधियों और गांरटी, हिस्सा पूंजी को छोड़कर, के निवेश से।
- किसी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त दान, चन्दा, अनुदान, मार्जिन मनी, आदि।
- बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर वित्तीय संस्थाओं से ऋण, नकद साख (कैश क्रेडिट) व अग्रिम धनराशि।
- प्रबन्धन शुल्क या संचालन शुल्क तथा उपयोगकर्ता शुल्क या सुविधा शुल्क ।

- वित्तीय व अन्य संस्थाओं से प्राप्त कमीशन, मानदेय, संचालन शुल्क, आदि।
- सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा संचालित व्यवसाय पर लाभ।

17. सीएचपीएमए सहकारी समिति का व्यवसाय किस प्रकार संचालित किया जाएगा?

सीएचपीएमए सहकारी समिति अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यवसाय, जो कि उसकी नियमावली में उल्लिखित हो, को कर सकती है। सीएचपीएमए सहकारी समिति द्वारा फल उत्पादन एवं विपणन के अतिरिक्त अन्य सहायक व्यवसायिक गतिविधियां जैसे इनपुट का क्रय एवं विपणन, मशीनरी बैंक की स्थापना एवं संचालन, लघु प्रसंस्करण इकाई का संचालन, संग्रहण केन्द्र का संचालन, भण्डारण यूनिट/कोल्ड स्टोरेज/सी0ए0 स्टोर का संचालन आदि कार्य भी किये जा सकते हैं। प्रत्येक सीएचपीएमए सहकारी सभा अपने सदस्यों की आवश्यकताओं तथा क्लस्टर समूह में रोपित फल फसल के अनुसार सदस्यों की सहभागिता से एक व्यवसाय योजना तैयार करेगी, जिसमें प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण, उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का विवरण, पूंजी की आवश्यकता तथा संभावित स्रोत का विवरण, लक्षित बाजार तथा व्यवस्थाओं का विवरण, एवं उत्पाद खरीद एवं विपणन योजना का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। व्यवसाय योजना में विभिन्न सदस्यों की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की व्यवस्थाओं का विवरण दिया जाएगा। सहकारी समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष बैठक का आयोजन कर क्लस्टर समूह स्तर पर उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों को समिति के माध्यम से विपणन करने का निर्णय कर सकते हैं, हालांकि यह सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए –

- फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल – 40 हेक्टेअर (माना कि यदि 20 हेक्टअर क्षेत्र में अमरूद तथा 20 हेक्टेअर क्षेत्र में संतरे का उत्पादन किया जा रहा है।
- एक फसल वर्ष में कुल उत्पादन – अमरूद – 222 कुन्तल + संतरा – 222 कुन्तल

यदि समिति के समस्त बागवान अपने उत्पादन को समिति के माध्यम से विपणन करने का निर्णय लेते हैं तथा समिति कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत क्रय करती है (यदि कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत को स्वयं के उपयोग तथा फसल हानि के कारण कम कर लिया जाए) तो एक फसल वर्ष में समिति द्वारा क्रय किये गये उत्पाद की मात्रा –

- एक फसल वर्ष में समिति द्वारा सदस्यों से क्रय किये गये उत्पाद की अनुमानित मात्रा– 400 कुन्तल
- एक फसल वर्ष में समिति द्वारा सदस्यों से क्रय किये गये उत्पाद की अनुमानित मूल्य (अमरूद – रू0 3000/कुन्तल तथा संतरा – रू0 3500/कुन्तल की दर से) – रू 13,00,000
- उत्पाद के क्रय के उपरांत परिवहन, मूल्यवर्धन (सफाई, छंटाई व ग्रेडिंग) पैकेजिंग, प्रबन्धन, कमीशन, आदि पर अनुमानित व्यय – रू0 2,50,000
- समिति द्वारा सदस्यों से क्रय किये गये उत्पाद के विपणन से अनुमानित कुल आय (अमरूद – रू0 5000/कुन्तल तथा संतरा – रू0 6000/कुन्तल की दर से) – रू 22,00,000
- समिति के प्रबन्धन, कार्मिकों के वेतन तथा विधिक कार्यों के अनुपालन में अनुमानित वार्षिक व्यय – रू 5,00,000
- इस प्रकार समिति को उत्पाद के विपणन से अनुमानित शुद्ध आय = कुल आय–कुल व्यय

  रू 22,00,000 – (रू 13,00,000+2,50,000+5,00,000) = रू0 1,50,000

इस प्रकार यह समिति की शुद्ध आय होगी, जिसका उपयोग समिति द्वारा नियमावली तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 में किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यदि सदस्यों द्वारा उत्पाद का विपणन किसी आढती या बिचौलिए के माध्यम से किया जाता है तो यह राशि उक्त बिचौलिए को प्राप्त होगी, जिस पर सदस्यों का कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में प्रत्येक सदस्य को बाजार से जुडी संस्थाओं/क्रेताओं से अलग–अलग अनुबन्ध या व्यापार करना होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य का समय तथा धन का व्यय होगा। जबकि समिति के माध्यम से विपणन करने पर न सिर्फ सदस्यों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पाद का विपणन एक साथ हो सकेगा बल्कि सभी सदस्यों को आसानी भी होगी तथा इससे प्राप्त होने वाली शुद्ध आय की राशि को सहकारी सभाएं अधिनियम के तहत व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार प्रावधानित करने के उपरांत शेष राशि को सदस्यों में लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है।

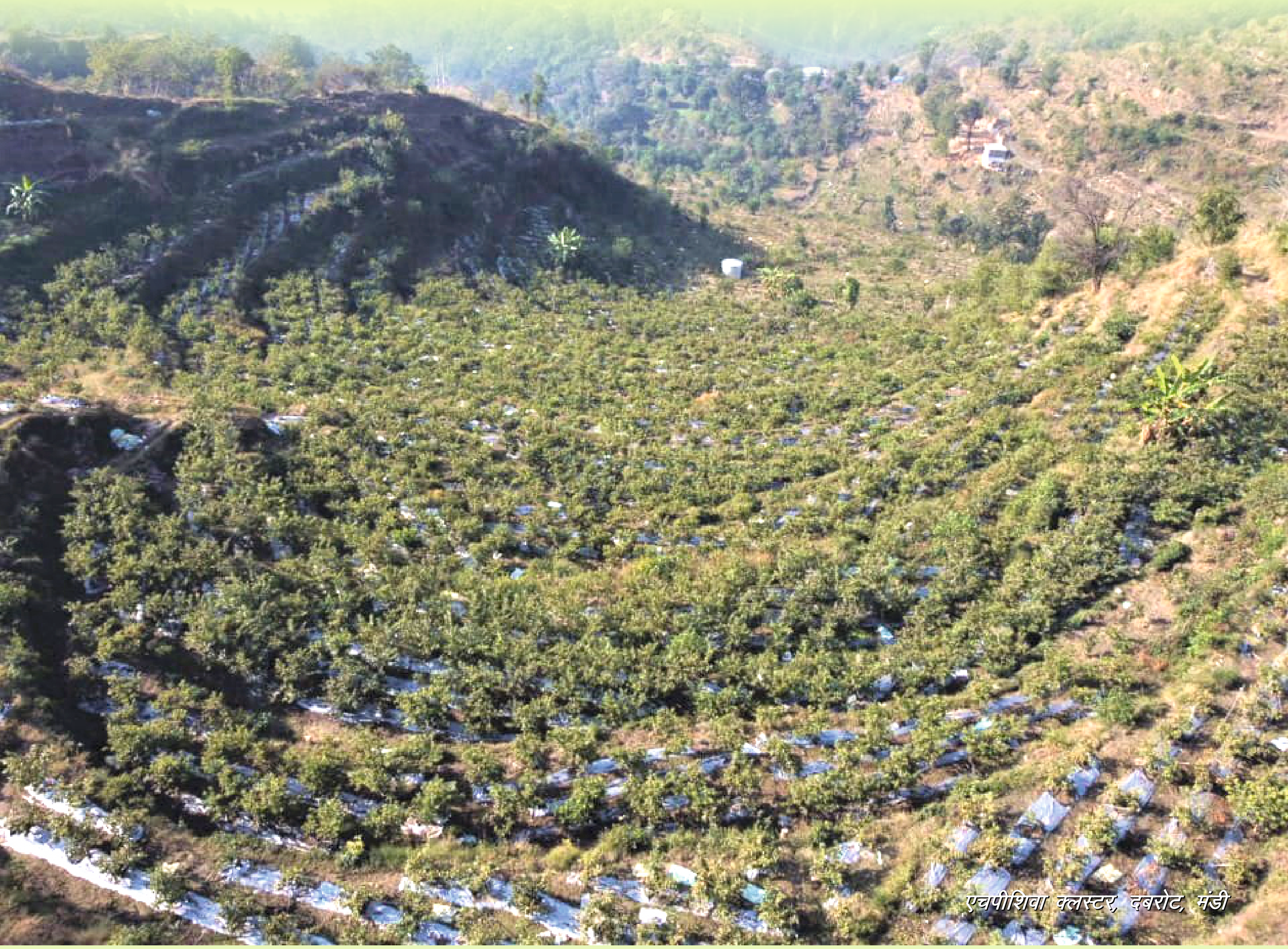

एचपीशिवा क्लस्टर, दबरोट, मंडी

एचपीशिवा परियोजना से सम्बंधित जानकारी के लिए संपर्क करें			
निदेशक उद्यान ,हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला – 171002 फोन :+91-177-2842390 ई-मेल : horticul-hp@nic.in	परियोजना निदेशक /परियोजना उपनिदेशक / नोडल अधिकारी एचपीशिवा परियोजना प्रबन्धन ईकाई, उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला – 171002 फोन :+91-177-2841120 मो : +91-7018615569 / 7018134993 ई-मेल : pmuhpshiva@gmail.com / nodalofficerhpshiva@gmail.com	परियोजना उपनिदेशक एचपीशिवा परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति भवन, शिमला फोन :+91-1905-292113 मो : +91-9816573293 / 9418465461 ई-मेल : deepakgarg5461@gmail.com	उप निदेशक उद्यान / जिला समन्वयक / प्रबन्धन विशेषज्ञ बिलासपुर : ddhbilaspur63@gmail.com मण्डी : horticulturemandi@gmail.com कांगडा : ddhkangra@yahoo.in / ddhkangra@gmail.com हमीरपुर : ddhhamirpur@gmail.com सोलन : ddhsolan@gmail.com सिरमौर : ddhsirmour7@gmail.com ऊना : ddhuna@rediffmail.com
समस्त विषय विशेषज्ञ उद्यान, उद्यान विकास अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान प्रसार अधिकारी एवं क्लस्टर प्रभारी			